

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/22 पार्ट(12)

जयपुर, दिनांक : 09.04.2025

—: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'पंचम' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास
1.	163/2020	सुश्री लवली बंसल, शीघ्रलिपिक, कार्मिक (ख-1), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2042	5/148, गांधीनगर
2.	72/2017	श्री शिव सहाय गुर्जर, कनिष्ठ लिपिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	30.09.2045	जीएडी/5/टी-1/15, विद्याधर नगर
3.	74/2017	श्री अशोक कुमार दरिया कनिष्ठ लिपिक, जनाना अस्पताल, जयपुर	31.03.2051	जीएडी/5/टी-1/16, विद्याधर नगर
4.	75/2017	श्री राम मीना, कनिष्ठ लिपिक, जनाना अस्पताल जयपुर	30.06.2042	जीएडी/5/टी-1/19, विद्याधर नगर
5.	198/2020	श्री नवीन कुमार, लिपिक ग्रेड-I, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय	30.06.2053	जीएडी/5/टी-1/23, विद्याधर नगर
6.	199/2020	श्री अंकित शर्मा, लिपिक ग्रेड-I, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय	30.04.2052	5/111, गांधीनगर
7.	76/2017	श्री ओमप्रकाश गुर्जर, कनिष्ठ लिपिक, वन विभाग, जयपुर	31.07.2049	जीएडी/5/टी-1/25, विद्याधर नगर
8.	79/2017	श्री शाहिद खान, कनिष्ठ लिपिक, पुलिस मूख्यालय, जयपुर	31.03.2046	जीएडी/5/टी-1/26, विद्याधर नगर
9.	80/2017	श्री दीपक गौतम, कनिष्ठ अनुसंधान सहायक, जल संसाधान विभाग, जयपुर	30.11.2048	जीएडी/5/टी-1/30, विद्याधर नगर
10.	201/2020	श्री किशन कुमावत, आशुलिपिक, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2056	जीएडी/5/टी-1/33, विद्याधर नगर



11.	202/2020	सुश्री रचना मेहरा, लिपिक ग्रेड-1, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.01.2059	जीएडी/5/टी-1/38, विद्याधर नगर
12.	81/2017	श्री सुखराम मीणा, लेब सहायक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.07.2039	जीएडी/5/टी-1/39, विद्याधर नगर
13.	82/2017	श्रीमती दिपिका माथुर, कनिष्ठ लिपिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर	31.07.2048	जीएडी/5/टी-1/44, विद्याधर नगर
14.	97ए/2017	सुश्री तनिषा शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, कोषालय जयपुर	30.06.2053	जीएडी/5/टी-1/48, विद्याधर नगर
15.	206/2020	सुश्री प्रियंका, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2059	जीएडी/5/टी-1/62, विद्याधर नगर
16.	207/2020	श्री विनित कुमार मीणा, लिपिक ग्रेड-1, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.01.2059	जीएडी/5/टी-1/64, विद्याधर नगर
17.	98/2017	श्रीमती सुमन कुमारी राजावत, कनिष्ठ लिपिक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर	31.03.2045	जीएडी/5/टी-1/65, विद्याधर नगर
18.	102/2017	श्री रामकिशोर स्वामी, वाहन चालक, न्याय विभाग जयपुर	30.6.2036	जीएडी/5/टी-1/66, विद्याधर नगर
19.	106/2017	श्री रुद्रदेव दीक्षित, कनिष्ठ लिपिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर	30.06.2054	जीएडी/5/टी-1/69, विद्याधर नगर
20.	208/2020	श्री रमेश चन्द्र, लिपिक ग्रेड-1, जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.11.2050	5/60, गांधीनगर
21.	210/2020	श्री मूला राम मेघवाल, आशुलिपिक, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.03.2058	5/100, गांधीनगर
22.	107/2017	श्री केशर सिंह शेखावत, कनिष्ठ सहायक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर	31.01.2051	जीएडी/5/टी-1/72, विद्याधर नगर

23.	110/2017	सुश्री प्रतिभा शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	28.02.2054	जीएडी/5/टी-1/76, विद्याधर नगर
24.	111/2017	श्री मनीष कुमावत, कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर	30.04.2045	जीएडी/5/टी-1/79, विद्याधर नगर
25.	211/2020	सुश्री हर्षिता वर्मा, लिपिक ग्रेड-1, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.09.2057	5/97, गांधीनगर
26.	212/2020	श्री अनिल कुमार सामरिया, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.03.2052	जीएडी/5/टी-1/80, विद्याधर नगर
27.	113/2017	श्री कपिल देव, वाहन चालक, वन विभाग जयपुर	31.12.2036	जीएडी/5/टी-1/83, विद्याधर नगर
28.	114/2017	श्री सन्दीप उदयवाल, कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर	31.03.2052	जीएडी/5/टी-1बी/89, विद्याधर नगर
29.	116/2017	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, वाहन चालक, खान एवं भू विज्ञान विभाग जयपुर	28.02.2044	जीएडी/5/टी-1/91, विद्याधर नगर
30.	213/2020	श्री जितेन्द्र चोरोटिया, लिपिक ग्रेड-1, वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.09.2059	जीएडी/5/टी-1/94, विद्याधर नगर
31.	214/2020	सुश्री पूजा चौधरी, लिपिक ग्रेड-1, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2059	जीएडी/5/टी-1/102, विद्याधर नगर
32.	120/2017	श्रीमती किरन, कनिष्ठ सहायक, सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.12.2049	जीएडी/5/टी-1/104, विद्याधर नगर
33.	121/2017	श्री शशिकान्त खटाणा, कनिष्ठ लिपिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर	31.08.2053	जीएडी/5/टी-1/107, विद्याधर नगर
34.	123/2017	श्री गिरीश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर	30.06.2037	जीएडी/5/टी-1/109, विद्याधर नगर

35.	215/2020	सुश्री प्रेम देवी, लिपिक ग्रेड-1, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.09.2057	जीएडी/5/टी-1/110, विद्याधर नगर
36.	216/2020	श्री नरपत राम, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2054	जीएडी/5/टी-1/112, विद्याधर नगर
37.	124/2017	श्री राहुल जैन, कनिष्ठ अनुसंधान सहायक, जल संसाधन विभाग जयपुर	31.03.2045	जीएडी/5/टी-1/119, विद्याधर नगर
38.	127/2017	श्री राहुल गर्ग, कनिष्ठ लिपिक, शिक्षा विभाग, जयपुर	30.06.2050	जीएडी/5/टी-1/120, विद्याधर नगर
39.	130बी/2017	श्री हनुमान सिंह, कनिष्ठ लिपिक, आपदा प्रबन्धन एवं सहा. विभाग, जयपुर	31.10.2048	जीएडी/5/टी-1/122, विद्याधर नगर
40.	217/2020	श्री मयंक कुमार अवस्थी, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2052	जीएडी/5/टी-1/123, विद्याधर नगर
41.	218/2020	श्री प्रकाश कुमार मीणा, आशुलिपिक, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2054	जीएडी/5/टी-1/128, विद्याधर नगर
42.	133/2017	श्री अजय दाधीच, कनिष्ठ लिपिक, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर	31.08.2046	जीएडी/5/टी-1/136, विद्याधर नगर
43.	9/2018	श्री मुकेश कुमार मीणा, कनिष्ठ लिपिका, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	31.05.2045	जीएडी/5/टी-1/137, विद्याधर नगर
44.	23बी/2018	श्री सुनील शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर	28.02.2050	जीएडी/5/टी-1/139, विद्याधर नगर
45.	219/2020	श्री गोपाल प्रसाद, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.10.2055	जीएडी/5/टी-1/142, विद्याधर नगर
46.	220/2020	श्री मनोज कुमार मीणा, लिपिक ग्रेड-1, राजस्थान कर्मचारी चयन	31.05.2050	जीएडी/5/टी-1/144, विद्याधर नगर

		बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।		
47.	23सी/2018	श्री खेमराज शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, जयपुर बम्ब ब्लास्ट केसेज, जयपुर	31.12.2044	जीएडी/5/टी-1/146, विद्याधर नगर
48.	23डी/2018	श्री भीम सिंह तंवर, कनिष्ठ लिपिक, न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर, मजिस्ट्रेट(आर्थिक अपराध) जयपुर	31.03.2052	जीएडी/5/टी-1/149, विद्याधर नगर
49.	71/2018	श्री लोकेश कुमार, कनिष्ठ लिपिक, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन. आई.एक्ट प्रकरण क्रम सं. 15 जयपुर	31.08.2041	जीएडी/5/टी-1/153, विद्याधर नगर
50.	225/2020	सुश्री गीतू कॅवर, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.12.2055	5/110, गांधीनगर
51.	226/2020	श्री दुर्गा राम, लिपिक ग्रेड-1, कार्यालय माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2056	जीएडी/5/टी-1/154, विद्याधर नगर
52.	75/2018	श्री गिर्राज प्रसाद मीणा, कनिष्ठ लिपिक, राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	30.11.2053	जीएडी/5/टी-1/158, विद्याधर नगर
53.	82/2018	श्री मुलचंद मीणा, वाहन चालक, खाद्य सुरक्षा अपीलिय अधिकरण, जयपुर	31.03.2046	जीएडी/5/टी-1/159, विद्याधर नगर
54.	83/2018	श्री प्रसन्न लाल मीणा, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला परिषद, जयपुर	31.03.2052	जीएडी/5/टी-1/160, विद्याधर नगर

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह दृष्टोत्प्रेषण करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क़य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधानसभा/ राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग/ शिक्षा विभाग/ न्याय विभाग/ खान एवं भू विज्ञान विभाग/ वन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), जिला रसद अधिकारी/ जिला परिषद/ खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/ न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/ न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, जयपुर बम्ब ब्लास्ट केसेज/ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर, मजिस्ट्रेट(आर्थिक अपराध)/ विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण क्रम सं. 15, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

6. पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय,, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. अति मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ सार्वजनिक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/ जनाना अस्पताल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
11. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
14. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
15. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/विद्याधर नगर, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/विद्याधर नगर, जयपुर।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर/पुलिस अकादमी परिसर, पानीपेच, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
18. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
19. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
20. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव